

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक..... स्थान (गांव एवं जिला)..... हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, पंचकुला जिसका पंजीकृत कार्यालय, बेज न0 1-2, सैक्टर-4, पंचकुला, हरियाणा में स्थित है, के प्रतिनिधी के रूप में प्रबन्धक, एचएलआरडीसी, हिसार (प्रथम पार्टी) तथा किसान श्री..... सुपुत्र श्री....., गांव..... डाकखाना..... तहसील..... जिला..... तथा उसके वारिस, उत्तराधिकारी, नियुक्त प्रतिनिधी (द्वितीय पार्टी) के मध्य इस अनुबन्ध के आधार पर एकड़ भूमि पर गेहूं की किस्म का फाउंडेशन/प्रमाणित श्रेणी के बीज के उत्पादन के लिए हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अनुमोदित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार एक योजना पर सहमति व्यक्त की है रबी..... के दौरान बीज उत्पादन के लिए हस्ताक्षर उपरान्त किया गया है ।

अनुबन्ध की शर्तें

1. निगम का बीज प्रोग्राम लेने वाले प्रोग्रैसिव किसान के पास निगम का बीज प्रोग्राम लेने हेतु कम से कम 5 (पांच) एकड़ भूमि का होना आवश्यक है ।
2. संलग्न अनुसूचि में अंकित इस अनुबन्ध की नियम एवं शर्तें दोनों पक्षों एवं उनसे सम्बन्धित सभी पक्षों/व्यक्तियों पर लागू होगी ।
3. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित सभी देय, भुगतान तथा दावे हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के सम्बन्धित जिला कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा इसी कार्यालय द्वारा भुगतान दिए जाएंगे जबकि आपसी सहमति से यह कार्य मुख्यालय, पंचकुला अथवा एच0एल0आर0डी0सी0 के किसी अन्य जिला कार्यालय से भी किया जा सकता है ।
4. इस अनुबन्ध को किसी भी स्थान पर लागू किया जाना हो, उस स्थान के बावजूद दोनों पक्षों और उनके बीच पारस्परिक रूप से समझा और सहमति जताई गई कि कोई भी कानूनी कार्यवाही के लिए जिला न्यायालय हिसार ही अधिकृत होगा ।

उपरोक्त की गवाही में उपरोक्त दोनों पक्षों ने नीचे लिखित दिनांक.....को अपना अगूठा लगाया/हस्ताक्षर किए ।

इसके उपरान्त एच0एल0आर0डी0सी0 को हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि0 समझा जाए ।

77

इस गेहूं बीज उत्पादन प्रोग्राम को हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि० का अनुमोदित प्रोग्राम माना जाए।

हस्ताक्षर (बीज उत्पादक किसान) नाम व पता		हस्ताक्षर (प्रबन्धक) कृते: प्रबंध निदेशक हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि०	
हस्ताक्षर(गवाह)		हस्ताक्षर (गवाह)	
दिनांक:		दिनांक:	
नाम व पता		नाम व पता	

अनुसूचि

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम तथा बीज उत्पादक दोनों पक्षधरों के मध्य रबी सीजन.....के दौरान गेहूं की.....किस्म को बीज उत्पादन योजना के तहत फाउंडेशन/प्रमाणित वंशावली श्रेणी के बीज उत्पादक योजना को लागू करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध की निम्नलिखित नियम एवं शर्तें होगी :-

1. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित स्टाम्प पेपर की कीमत, बीज की कीमत, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा पंजीकरण तथा निरीक्षण के लिए समय-समय पर संशोधित फीस उत्पादक को बीज लेते समय नगद/ऑनलाईन निगम के खाते में जमा करना होगी।
2. (क) उत्पादक को बीज उत्पादन हेतु.....एकड़ (शब्दों में) क्षेत्र आरक्षित/अलग से रखना होगा जो कि एक सघन खण्ड/भूमि का टुकड़ा.....एकड़ से कम नहीं होगा, और अच्छे प्रकार से समतल, उपजाऊ और समान्य PH, अच्छी जल निकासी वाली भूमि जो बीज उत्पादन के लिए पूर्णतयः उपयुक्त हो, होना आवश्यक है और यह आरक्षित क्षेत्र न तो बिखरा हुआ होगा और न ही टुकड़ों में।
(ख) आरक्षित बीज क्षेत्र की जगह इस प्रकार स्थापित होगी कि उस क्षेत्र में बीज की फसल में आवश्यक पृथक्करण की निर्धारित दूरी जो कि भारतीय न्युनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013, (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप होगी (जब तक निर्दिष्ट न हों, यदि कोई हो) अन्यथा बीज फसल आंशिक या पूर्ण तौर पर रद्द कर दी जायेगी, जो भी आवश्यक होगा।

(ग) उत्पादक बीज की फसल एकल फसल के तौर पर तैयार करेगा न कि मिश्रित फसल, आन्तरिक फसल या सहचर फसल। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की पूर्वानुमति के बिना रैटून (मूड़डा) बीज फसल नहीं ली जायेगी।

(घ) उत्पादक सभी प्रकार के कार्य संचालन जैसे भूमि तैयार करना, बुआई, सिंचाई, अंतः कर्षण क्रियाएं, खाद, पौध संरक्षण, रोगिंग, कटाई व अन्य कृषि कार्य जो बीज उत्पादन से संबंधित हों और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए बीज उत्पादन पद्धतियों के अनुरूप सख्ती से पालना करनी होगी।

3. (क) हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि० द्वारा बीज उत्पादक किसान को उत्तम क्वालिटी का ब्रीडर/फाउंडेशन बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बावजूद यदि यह बीज किसी कारणवश जमवार नहीं होता है, तब उस स्थिति में हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि० द्वारा दोषपूर्ण बीज बदला जाएगा अथवा बीज की कीमत वापिस की जाएगी, बशर्ते इस बाबत पूर्व सूचना हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम से सम्बन्धित प्रबन्धकीय कार्यालय को बीज बोने के सात दिन के अन्दर-2 लिखित सूचना वांछित दस्तावेजों तथा प्रेषण की रसीद सहित दी गई हो। शिकायत प्राप्ति पर क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रबन्धक/उसका प्रतिनिधी शिकायत प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर-2 बिजाई किए गए क्षेत्र का निरीक्षण/परीक्षण करेगा। परीक्षणोपरान्त यदि यह साबित हो जाता है कि हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि० द्वारा उपलब्ध करवाया गया बीज असफलता का कारण है तब उस स्थिति में यदि उसी किस्म का बीज उपलब्ध हुआ तब बीज उपलब्ध करवाया जाएगा अन्यथा बीज की कीमत वापिस कर दी जाएगी और अग्रिम तौर पर अदा किए गए सेल्ज टैक्स/जी.एस.टी. की कोई वापसी नहीं होगी।

(ख) बीज उत्पादक किसी भी स्थिति में हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि० से प्राप्त ब्रीडर/फाउंडेशन बीज वंशावली किसी अन्य व्यक्ति को बिक्री या हस्तान्तरण नहीं करेगा।

4. बीज नियम, 1966, जो समय-2 पर संशोधित के अनुसार हरियाणा में अधिसूचित किस्में/श्रेणी के बीज उत्पादन हेतु, उत्पादक पहले "मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल" पर अपनी भूमि पृविष्टियों को दर्ज करके तथा उसके सत्यापन उपरान्त "उत्तम बीज पोर्टल" पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि० के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र में केवल एक उत्पादक द्वारा एक मौसम में पैदा की गई समस्त अधिसूचित किस्में/श्रेणी की फसलें सम्मिलित होगी।

5. उत्पादक बीज प्रमाणिकरण एजेंसी/हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि० को बीज फसल के क्षेत्रीय निरीक्षण/परिक्षण, जो किसी भी समय या किसी भी स्तर पर किया जाए, हेतु सभी सुविधायें उपलब्ध करवायेगा ।
6. (क) केवल हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्रीडर/फाउंडेशन/प्रमाणित (सी-1) बीज से उत्पादित एवं हरियाणा राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा प्रमाणित क्षेत्र से प्राप्त उत्पादन ही ग्रेडिंग व टैस्टिंग के लिए स्वीकार्य होंगे ।
- (ख) हरियाणा राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा अनुमानित मात्रा तथा हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित सीमा (जो भी कम होगा) से अधिक राँ बीज ग्रेडिंग व टैस्टिंग के लिए हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड को स्वीकार्य नहीं होगा । उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बीज हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड/हरियाणा बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा निर्धारित आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण मानकों के अनुरूप होना चाहिये ।
- (ग) बीज केवल आरक्षित क्षेत्र, जो उपरोक्त 6 (ख) के तहत संदर्भित मानकों की पुष्टि करता हो, को ही ग्रेडिंग हेतु स्वीकार किया जायेगा ।
- (घ) बीज उत्पादक कटाई करके निकाले गए राँ बीज को हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अथवा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा तय किए गए विद्यायन संयंत्र (जो जहां भी स्थित हो) पर निगम द्वारा प्रदान किए गए बारदानें में अपने खर्चे से भेजने की व्यवस्था करेगा ।
- (च) बीज उत्पादक कार्यक्रम जिसमें दो वंशावली श्रंखला (नर/मादा लाईन) सम्मिलित है उसमें नर पंक्ति के बीज उत्पादन की खरीद निगम नहीं करेगा । उत्पादक इस प्रकार के उत्पाद को बिक्री या बुआई के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा ।
- (छ) यदि बीज लॉट ग्रेडिंग से पूर्व या उसके पश्चात, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित विधि तथा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणिकरण मानक, 2013 (समय-2 पर संशोधित) के अनुसार पुष्टि नहीं होती तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और संबंधित बीज उत्पादक को दी गई अग्रिम राशि व निर्धारित ग्रेडिंग शुल्क वसूलने उपरान्त वह सारा बीज जो रद्द पाया जाएगा उसे बीज उत्पादक को वापिस कर दिया जाएगा ।

(ज) हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड यथाशीघ्र ग्रेडिंग हेतु सभी संभव प्रयत्न करेगा। उत्पादन की अंतिम खरीद तक हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड इसके किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति (हास) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

7. (क) उत्पादक के संबंधित साफ व ग्रेडिंग बीज से लॉट अनुसार प्रतिनिधित्व नमूना रैंडम आधार पर, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था के प्रतिनिधि द्वारा निकाले जायें और उत्पादक के नाम से लैबोरेटरी में टैस्टिंग के लिए भेजे जायें, यदि बीज लॉट की पुष्टि निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप न पाई गई व रद्द होती है, तो हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के विकल्प पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड/हरियाणा बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा दोबारा टैस्टिंग की जायेगी, जो मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

(ख) हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड बीज के नमूने के विश्लेषण हेतु बिना किसी परिणाम की प्रकृति के बावजूद प्रति नमूना परीक्षण फीस स्वयं वहन करेगा।

8. 6(छ) के तहत निर्धारित मानदण्डों की पुष्टि के संदर्भ के अतिरिक्त, यदि बीज का रंग बेरंग पाया जाता है, चमक प्रभावित होती है, कीड़े मकोड़ो, कीट व रोग ग्रस्त है अथवा अन्य कोई भी कारण जो न्यूनतम बीज प्रमाणिकरण मानक की परिधि में न हो, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के पास लॉट को रद्द करने अथवा लॉट की खरीद न करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. बीज उत्पादक, टैस्ट रिपोर्ट के आधार पर, बीज लॉट की सफाई व ग्रेडिंग के पश्चात रद्द किया गया रॉ बीज व्यर्थ बीज, अस्वीकार्य बीज, अंडरसाईज बीज, बीज प्लांट से संशोधन की तिथि/सूचना की तिथि जो भी पहले हो, के 30 दिन के अन्दर बीज प्लांट से उठाना होगा वरना असफल होने पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर से किराया, जो कि भण्डारण की समयावधि में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी न होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के पास उत्पादन के किसी भी ढंग से निपटान का अधिकार तथा उत्पादक से निर्धारित किराया वसूल करने व बकाया उसके खाते में डालने का अधिकार सुरक्षित होगा।
10. (क) इस अनुबन्ध में जैसाकि उपबन्ध 6 (छ) में वर्णित है, रॉ बीज का अग्रिम भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं फसल के लिए वर्ष..... के न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये का 85 प्रतिशत बीज विद्यायन संयंत्र के गोदाम में प्राप्त होने उपरान्त 15 दिनों के अन्दर-अन्दर किया

[Signature]

जाएगा और शेष अन्तिम भुगतान बीज की ग्रेडिंग के पश्चात् अन्तिम तौर पर जो प्रमाणित बीज की मात्रा प्राप्त होगी तथा बीज मानकों की पुष्टि व टैस्ट रिपोर्ट में पास होने पर खरीद मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष..... के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये से 18 प्रतिशत अधिक (बीज परिवहन आदि के सभी खर्चों सहित) होगा और कुल देय भुगतान में से अग्रिम किए गए भुगतान की राशि को घटाकर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

यदि निगम द्वारा बीज उत्पादक से ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड तैयार करवाया जाता है तब उस स्थिति में बीज उत्पादक को फाउंडेशन बीज मानकों की पुष्टि व टैस्ट रिपोर्ट में पास होने पर तैयार फाउंडेशन बीज पर प्रमाणित बीज के उपरोक्त दर्शाए गए मूल्य (एम.एस.पी.+18 प्रतिशत) से 15 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य (बीज परिवहन आदि के सभी खर्चों सहित) कुल देय भुगतान में से अग्रिम किए गए भुगतान की राशि को घटाकर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ख) कय मूल्य समेकित रूप में होगा इसके ईलावा कोई भी अन्य दावा सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड को बीज उत्पादक को देय राशि में से उनकी तरफ किसी भी प्रकार की बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) बीज उत्पादक अपने समस्त उत्पादन, जो की फसल की स्थिति उसके अन्तिम चरण में हरियाणा राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था/हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रमाणित क्षेत्र की निरीक्षण/परिक्षण रिपोर्ट तथा निर्धारित मानकों की पुष्टि करते हुए, संलग्नित अनुलग्नक के अनुसार, बीज उत्पादक द्वारा हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड को प्रस्तुत की जायेगी। बीज उत्पादक गेहूं उत्पादन को ग्रेडिंग व टैस्टिंग के लिए किसी अन्य को बिक्री अथवा हस्तान्तरित नहीं करेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तब उस स्थिति में बीज उत्पादक हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड को हुए नुकसान की भरपाई करने हेतु उत्तरदायी होगा।

11. इस अनुबन्ध के अन्तर्गत या इससे संबंधित, इसके लागू करने या संतुष्टीकरण बाबत यदि कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद पैदा होते हैं, तब उस स्थिति में मामला प्रबंध निदेशक, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड को फैसले हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यदि प्रबंध निदेशक, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड उचित समझे तो वह मामले को निपटाने के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकते हैं। अनुबन्ध के पक्षकारों को, आर्बिट्रेटर जैसाकि उपरोक्त में वर्णित किया गया है, यदि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो उस मामले से संबंधित है या पूर्व में रहा हो, जिनसे यह अनुबन्ध से संबंधित है अथवा वह अपने कर्तव्यों का वहन करते समय उसने उन सभी अथवा किसी एक विवाद या मतभेदों

पर अपने विचार रखे हों, पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आर्बिट्रेटर का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षकारों पर बाध्य होगा।

12. बीज उत्पादक उसी मौसम में उसी भू-क्षेत्र पर किसी अन्य सरकारी/निजी बीज उत्पादन एजेंसी द्वारा, उत्पादन प्रोग्राम में फसल/किस्म नहीं लेगा जिस भूमि क्षेत्र पर उसने हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है तथा जो भूमि हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड को बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु सौंपी गई है। वह हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का बीज उत्पादन कार्यक्रम से उत्पादित बीज (हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के मापदण्डों के तहत) किसी अन्य संस्था को नहीं देगा। यदि कोई उल्लंघना की जाती है तो उसके विरुद्ध जो भी उचित कार्यवाही बनेगी, करेगा।
13. उत्पादक किसी भी व्यक्ति को उत्पादन प्रोग्राम हस्तान्तरित या किराये पर नहीं देगा।
14. हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड को किन्ही भी हालात में परिस्थितियां उनके नियन्त्रण से बाहर होने पर बिना कोई नोटिस जारी किए यह अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसी स्थिति में बीज उत्पादक पूर्ण तौर पर उत्पादन का निपटान करने हेतु उत्तरदायी होगा।
15. यह अनुबन्ध पढ़वा दिया गया, बीज उत्पादक को उसकी मातृभाषा में वर्णन करवा दिया गया। बीज उत्पादक यह घोषणा करता है कि वह सभी तथ्यों को पूर्ण तौर पर समझ चुका है।

हस्ताक्षर (बीज उत्पादक किसान) नाम, पता व आधार कार्ड न0		हस्ताक्षर (प्रबन्धक) कृते: प्रबंध निदेशक हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि0	
हस्ताक्षर (गवाह)		हस्ताक्षर (गवाह)	
दिनांक:		दिनांक:	
नाम व पता		नाम व पता	
मोबाईल न0		मोबाईल न0	

सचिव
कृते: प्रबंध निदेशक